भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1440

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में परिवर्तन**

1440. श्रीमती शोभना भरतिया:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा सुझाए गए मुख्य परिवर्तनों को प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित विधेयक के संशोधित मसौदे को स्वीकृति प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रस्तावित विधेयक में विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क),(ख),(ग),(घ) और (ङ):** केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषज्ञ और अन्‍य हित धारकों की टिप्‍पणियों/सुझावों तथा राष्‍ट्रीय सलाहकार परिषद और अध्‍यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्‍यक्षता के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों से विधेयक के प्रारूप पर टिप्‍पणियां करने का अनुरोध किया गया था। विधेयक का प्रारूप उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाइट (<http://fcamin.nic.in>) पर भी टिप्‍पणियां/सुझाव लेने के लिए डाला गया था।

विधेयक के प्रारूप में उचित मूल्‍यों पर अच्‍छी गुणवता के पर्याप्‍त मात्रा के खाद्यान्‍नों तक पहुंच सुनिश्‍चित करके मानव जीवनचक्र दृष्‍टिकोण में खाद्य और पोषाहार सुरक्षा का प्रावधान है ताकि लोग सम्‍मानपूर्वक जीवन जी सकें। विधेयक के प्रारूप में अन्‍य बातों के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राथमिकता वाले परिवारों और आम परिवारों के व्‍यक्‍तियों के लिए राजसहायता प्राप्‍त मूल्‍यों पर खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने, गर्भवती महिलाओं और स्‍तनपान कराने वाली माताओं तथा बच्‍चों के लिए पोषाहार समर्थन और बेसहारा व्‍यक्‍तियों, बेघरों, आकस्‍मिकता और आपदा प्रभावित व्‍यक्‍तियों, भुखमरी में जीवन यापन करने वाले व्‍यक्‍तियों आदि जैसे विशेष समूहों के लिए पात्रता के अधिकार का प्रावधान है। जिला, राज्‍य और राष्‍ट्रीय स्‍तर पर एक त्रिस्‍तरीय शिकायत निपटान तंत्र बनाने का प्रस्‍ताव है ताकि पात्रता की सुपुर्दगी और इससे संबंधित मुद्दों की शिकायतें दूर की जा सकें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित रिकार्ड को उजागर करने, सामाजिक लेखापरीक्षा करने और सतर्कता समितियों का गठन करने का प्रावधान भी किया गया है ताकि सरकारी प्राधिकारियों पर दंड लगाने के अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्‍चित की जा सके।

.........2.....

- 2 -

विधेयक के प्रारूप के विभिन्‍न प्रावधानों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों और व्‍यक्‍तियों/संगठनों से कवरेज, लाभार्थियों की पहचान करने, अन्‍य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने जैसे मुद्दों पर टिप्‍पणियां/सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्‍त हुई टिप्‍पणियां/सुझाव को ध्‍यान में रखकर विधेयक को संसद में लाने से पहले अनुमोदनार्थ सक्षमप्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

\*\*\*\*\*\*